न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर(पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 21/2016
प्रकरण दर्ज तिथि :— 22.12.2016
जीसीएमएस नम्बर :— 2016/00206

प्रार्थी	बनाम	प्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर	1.	रूपादेवी पत्नि बगदाराम जाति कुमावत निवासी पिपलियाकलां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1 पैराकार सरकार (प्रार्थीगण) उपस्थित

2 अप्रार्थीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 03.08.2022**

प्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा झाला की चौकी पटवार मण्डल झाला की चौकी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 122/20 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही सोयम में स्थित हैं। **अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के भू भाग पर मकान बना कर निवास के रूप में गैरकृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जा रहीं हैं।** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अनुसार किसी भी खातेदार काश्तकार को कृषि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ कार्य हेतु दी गई हैं। जबकि अप्रार्थीगण खातेदार द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण कराये कृषि भिन्न कार्य उपयोग में ली जा रही हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 का स्पष्ट उल्लघंन हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखल कर भूमि को सिवायचक घोषित कर बहक राज्य सरकार लेने के आदेश प्रदान करवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जबाव जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस समायत की गई। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के गहन अध्ययन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रार्थी तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा झाला की चौकी पटवार मण्डल झाला की चौकी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 122/20 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही सोयम में स्थित हैं। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के भू भाग पर मकान बना कर निवास के रूप में गैरकृषि कार्य हेतु उपयोग करना पाया गया हैं। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का विधि अनुरूप भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतु प्रेरित करें। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर भूमि को राज्यसात करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता हैं एव चूंकि

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 क के तहत कार्यवाही का अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं ऐसी स्थिति में धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही को अंतिम विकल्प के रूप में ही उपयोग में लिया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार रायपुर के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की इस्तेदुआ खारिज की जाती हैं। मौजा झाला की चौकी पटवार मण्डल झाला की चौकी तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 122/20 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही सोयम में से अप्रार्थीगण द्वारा ली जा रही गैरकृषि कार्य भूमि में अप्रार्थीगण को यह निर्देश दिया जाता हैं कि वह तीन माह के भीतर विधि अनुरूप भू उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर तहसीलदार रायपुर को प्रस्तुत करें। अप्रार्थी इसमें विफल रहने पर प्रार्थी तहसीलदार रायपुर नियमानुसार कार्यवाही करें। इन्ही निर्देशों के साथ पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 03.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)